

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

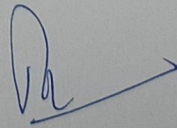
पत्रांक 8084 / वाद संख्या आर-0738 / एस-3 / 2023

दिनांक 19-1-2024

श्रीमति ईश्वरी जोशी आदि
लेन नं0 4 महालक्ष्मीपुरम मौथरोवाला रोड
देहरादून ।

विपक्षी श्रीमति ईश्वरी जोशी आदि, लेन नं0 4 महालक्ष्मीपुरम मौथरोवाला रोड देहरादून के द्वारा स्थल पर लगभग 20 गुणा 20 फिट के क्षेत्र में निर्माण करने के कारण प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 14 में निर्दिष्ट बिना अनुमति निर्माण किया गया है। अनाधिकृत निर्माण के प्रत्यावेदन के आधार पर विपक्षी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत दिनांक 16-05-2023 को कारण बताओ नोटिस एवं अधिनियम की धारा 28 (1) के अधीन विकास निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी करते हुए वाद संख्या आर-0738 / एस-3 / 2023 योजित किया गया। विपक्षी से अपेक्षा की गई कि दिनांक 13-05-2023 को प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। दिनांक 13-05-2023 को विपक्षी उपस्थित नहीं हुए और न ही डाक से कोई प्रतिउत्तर दिया गया। कार्यालय द्वारा पुनः दिनांक 06-06-2023, 04-07-2023, 20-07-2023, 22-08-23, 19-09-23, 31-10-23, 28-11-23, 12-12-23, 09.01.2024 की तिथियाँ नियत की गयी। उक्त तिथियों पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, और विपक्षी द्वारा डाक से भी कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया विपक्षी द्वारा दिनांक 28.11.2023 को एक प्रार्थना पत्र एवं स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्रस्तुत करते हुये वाद समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। सहायक अभि० की आख्या दिनांक 12-01-2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार 1.45 मीटर रोड वाईडिंग एवं 1.50 मीटर फ्रन्ट सैड बैंक होना चाहिये, जबकि विपक्षी द्वारा मात्र रोड वाईडिंग को छोड़ते हुये तथा एफ0एस0बी0 को कवर करते हुये निर्माण किया गया है साथ ही मानचित्र में दर्शाये गये ओ0टी0एस0 ऐरिया को भी कवर किया गया है। वर्तमान समय तक विपक्षी द्वारा ऑनलाईन कोई शमन मानचित्र जमा नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी वाद को जानबुझकर लम्बित रखना चाहता है जो न्याय हित में उचित नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आप द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 में निर्दिष्ट बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं को उल्लंघन किया गया है। चालान शुद्धा निर्माण को सील किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

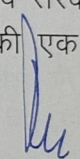


इस से स्पष्ट होता है कि विपक्षी वाद को जानबुझकर लम्बित रखना चाहता है। उक्त वाद को लम्बित रखना न्याय हित में उचित नहीं है। अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

आदेश

श्रीमति ईश्वरी जोशी आदि, लेन नं० 4 महालक्ष्मीपुरम मौथरोवाला रोड देहरादून के द्वारा स्थल पर लगभग 20 गुणा 20 फिट के क्षेत्र में निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण में धारा 28क, के अन्तर्गत सील आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक ~~27-1-24~~ को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त सम्पूर्ण परिसर को खाली कर दें, तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हों, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर कोई कार्य न करे एवं स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के सम्मान है जो कि कानून दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाये।


15.1.24
संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।